Western Railway



Ankit Kumar, IRSE Deputy Chief Engineer/C/III. Mobile no: +91-9724091253

Pratapnagar, Vadodara-04

Dated: 14.03.2024

Office of the,

Email.dycec3brc@gmail.com

Dy. Chief Engineer (Const.)III,

No. BRC/W/115/22 (Forest)

To, Additional Principal Chief Forest Conservator [Land Management] Van Bhawan, Madhya Pradesh Bhopal - 462003

[Kind attention: Shri H. S. Mohanta]

Sub: Proposal for diversion of forest land 244.039Hec. for construction of New Railway **Broad** between Chhotaudepur Dhar. (Proposal No. Gauge line FP/MPRAIL/154962/2022)

- Ref: 1. EDS No. 6-MPR 015/2023-BRO Dated, 12.02.2024
  - 2. Your letter number no. F-5/1259/2023/10-11/1044, dated 15.02.24
  - 3. This office letter of even number, dated 15.02.24
  - 4. Meeting held by Cabinet Secretary (Co)/ New Delhi on 05.03.24
  - 5. Your letter number no. F-5/1259/2023/10-11/1388, dated 06.03.24 for conducting meeting on 12.03.24 in your office.
  - 6. Meeting held in your office on 12.03.24 in respect of reference [5] above.

#### Sir,

Apropos above and in specific reference to the discussions held during the meeting on 12.03.24 in your good office at Bhopal in respect of EDS, dated 12.02.24, containing total four observations, item-wise reply/compliance/remarks from Railway side on information, as desired by aforesaid EDS, and as discussed during the aforesaid meeting, are submitted as under for onward submission of consolidated reply from your end for disposal of the EDS, dated 12.02.24 as under reference [1] above:

#### **Reg: Observation 1**

The revised KML of proposed diversion area i.e. 244.039 hectare with the Station area marked, is re-submitted herewith as per discussions held in the meeting. This revised KML has since been duly checked by the concerned railway official and also got checked by the concerned officials of your office. The marking of station area [JAMANIYA] was shown on the screen during the meeting held on 12.03.24.



## 2. Reg: Observation 2

Benefit Cost Analysis, duly quantified in monetary terms along with benefit cost ratio duly signed by concerned Deputy Chief Engineer/Construction/III/BRC/WR is again re-submitted herewith as Annexure: A. Benefit cost ratio works out to be 2.93:1.

## 3. Reg: Observation 3

Necessary rectification has since been done with corrections thereon by the concerned DFO/Dhar and the same has since been uploaded on the on-line portal. Compliance of this item was informed during the aforesaid meeting, dated 12.03.24.

#### 4. Reg: Observation 4

#### Observation under item 4 of aforesaid EDS, dated 12.02.24 was as under:

"The reply related to violation is not as per the provisions. The State Govt needs to initiate action in accordance with FCA and Rules taking action against the authority responsible for violation of FCA, 1980 and against the officials who have not been able to prevent violation of FCA, 1980. Detailed report needs to be submitted in this regard."

In respect of above observation, detailed discussions were held during the meeting on 12.03.24 and following facts were brought into notice by Railway for consideration in finalizing the consolidated reply on above observation.:

- 4.1 The proposal involves total 244.039 hectare land which is equivalent to 24.499 km in linear length of the project from Jobat to Dhar [84.46 km]. Out of aforesaid land area of 244.039 hectare land, the land area of 6.654 hectare [2.73%], which is equivalent to 1.193 km only is alleged to be under violation.
- 4.2 The aforesaid 6.654 hectare area of land in linear length of 1.193 km falls in between Jobat-Dekakund [11.88 km] block section which is targeted for commissioning by Railway along with the next block section Dekakund Tanda Road [15.70 km] involving 5.528 hectare of forest land in a linear length of 0.912 km.
- 4.3 It is evident from the aforesaid position that out of aforesaid 27.58 km length of the project section from Jobat Dekakund Tanda Road, involving two block sections, which are targeted for commissioning, the total forest land delaying the commissioning of aforesaid two block sections, involves an area of 12.182 hectare [i.e. 6.654 + 5.528] in a total linear length of 2.105 km only which constitutes 7.6% of aforesaid 27.58 km length. The balance area of 231.857 hectare forest land is beyond Tanda Road railway station and upto Dhar involving linear length of 56.88 km.



- 4.4 As such, unless the construction work is done in aforesaid area of 6.654 hectare of forest land involving alleged violation for which the complete proposal of 244.039 hectare forest land is held up since April 2022 [29.04.22: Date of proposal in Parivesh portal] at the earliest, the block section from Jobat to Dekakund cannot be commissioned, apart from non-completion of works in onward block sections also which is causing inordinate delay in completion/commissioning of the whole project.
- 4.5 In respect of the aforesaid specific issue of alleged violation involving an area of 6.654 hectare land for which the complete proposal is stuck up, the relevant facts and records are submitted as under in chronology of events:

# 4.5.1 January, 2017 [Submission of proposal by Railway to Collector/ Alirajpur]

- (i) At the beginning of execution of the project section from Jobat onwards, the aforesaid land of 6.654 hectare between Jobat and Dekakund stations located in two isolated stretches of chainage 77.952 to 78.040 [0.88 km] and Chainage 80.029 to 81.134 [1.105 km], thus involving total linear length of 1.193 km out of the aforesaid block section length of 11.88 km (between Jobat-Dekakund) was immediately required by railway to start from Jobat end towards Dekakund station, as the previous section upto Jobat was getting commissioned and the aforesaid next block section from Jobat to Dekakund was to be taken up for construction works.
- (ii) The aforesaid land of 6.654 hectare was stated by the revenue authorities under their ownership as per their land records.
- (iii) Accordingly based on revenue land records, proposal for acquisition of the above land (6.654 hectare) was submitted by railway to Collector/Alirajpur on 13.01.17.

## 4.5.2 <u>January</u>, 2018 [Issue of award by Collector/ Alirajpur]

- (i) Award was issued by the then Collector/Alirajpur on 30.01.18 for total land area of 9.792 hectare which included the aforesaid land of 6.654 hectare also. The award value was Rs 42,54,371/- [Copy of award in 8 pages is enclosed as Annexure: B]
- (ii) The aforesaid award involved an intervening period of about one year from date of submission of proposal by Railway to the Collector/Alirajpur in Jan 2017.
- (iii) The award amount of Rs. 42.54 lakh was paid by railway to revenue authorities for disbursement.

## 4.5.3 March, 2018 [Evaluation of Trees by forest officials]

(i) 09.03.2018: Forest Ranger/ Jobat's letter to DFO/ Alirajpur in respect of evaluation of trees. [copy of this letter on record is enclosed as Annexure- C]



- (ii) 10.03.2018: A letter jointly signed by the then Forest Ranger/ Jobat, SDO/ Ajadnagar, Tehsildar/ Jobat, Senior Horticulture Development Officer, and addressed to DFO/ Alirajpur, which contains the details of the evaluation of the trees involving total cost of Rs 4,57,696 for 1010 trees [copy of this letter in 6 pages on record is enclosed as Annexure- D]
- (iii) The above two documents on record clearly demonstrates that the then forest officials were clearly aware of the above land area of 6.654 hectare for which they were evaluating the cost of trees. If the aforesaid land was pertaining to the forest department, then at that moment, the forest officials should have objected the ownership of land.

This simply demonstrates the fact that at the time of evaluation of trees and even after award of land by revenue authorities in January, 2018, the forest officials which were involved in evaluation of trees did not object that the above land did not belong to revenue and instead belonged to forest department.

4.5.4 January, 2019 [Award of tender for construction works]

Subsequently, with the authority of the above award, tender was awarded by Railway for construction work in above section on 25.01.2019.

4.5.5 April, 2019 [Start of physical execution of work in some stretch of 6.654 hectare land]

(i) Subsequently, after award of tender on 25.01.2019, commencement of work under the awarded contract was started and physical work in some stretch of aforesaid land area of 6.654 hectare land started from April, 2019 as per date of measurement recorded as 20.05.2019 at page no 780001 of railway's Measurement Book no. BRC/7801in respect of 1<sup>st</sup> running on-account bill. [copy of concerned page indicating date of 1<sup>st</sup> measurement is enclosed as **Annexure-E**].

#### 4.5.6 April, 2022 [Application on Parivesh Portal]

- (i) When Railway approached the forest department in connection with submission of remaining forest land for the project from Dekakund to Dhar involving 237.385 hectare forest land in a linear length of 72.58 km, then the forest officials stated that that as per their KML details, the land area of 6.654 hectare between Jobat-Dekakund, which the railway had already acquired from revenue authorities way back in 2018, also belongs to forest department and the same must be included in the aforesaid proposal.
- (ii) Accordingly, on the insistence of the forest department, the proposal for 244.039 hectare including the aforesaid land area of 6.654 hectare for Stage I forest clearance from state forest department was applied by Railway on "Parivesh portal" vide application no. FP/MP/RAIL/154962/2022, dated 29.04.2022.



Y

- (i) The work was completely stopped by forest officials in Oct 2022 stating that the aforesaid land pertains to forest and as such necessary permission is required to be taken as per the FCA Act.
- (ii) Since then, the work is stopped in the aforesaid land area of 6.654 hectare.
- 4.6 January, 2023 [Joint inspection by Revenue, Forest and Railway Officials]
- 4.6.1 In above matter, a joint inspection was conducted by the then revenue, forest and railway officials and a joint report dated 20.01.23, on record, duly signed by the aforesaid officials is enclosed herewith as Annexure: F which is addressed to Collector/ Alirajpur.
- 4.6.2 It is quite evident from the conclusions drawn in the aforesaid joint report, dated 20.01.23 duly signed by the then revenue, forest and railway officials that there was an issue of non-reconciliation of land records between revenue and forest records, which resulted in acquisition of above land by railway from revenue authorities.
- 4.7 The above facts and records clearly demonstrate that there was no negligence or willful intention/act on the part of the then Railway Officials to violate the FCA Act.
- 4.8 The then Railway Officials associated with the work were Shri Ranvijay Kumar, JE/Works and Shri Raj Kishore Choudhary, SSE/Works
- 5.0 It is requested that the consolidated suitable reply from your end in respect of EDS, dated 12.02.24 may please be submitted to Deputy Director General, MoEFCC, Bhopal at the earliest.

DA: As above

Your's sincerely,

(ANKIT KUMAR)

Dy. Chief Engineer (Construction)III, Western Railway, Vadodara

Copy to: For kind information and necessary action

- 1. Deputy Director General MoEF Regional Office, Bhopal
- 2. Collector/Alirajpur
- 3. District Forest Officer/ Alirajpur

# BENEFIT COST ANALYSIS PART-A

# Category of proposals for which Cost Benefit Analysis are applicable for "Construction of New B.G. Railway Line from Chhotaudepur to Dhar Project [157 km]" [Proposal No. FP/MP/RAIL/154962/2022, Dated 29.04.2022]

No.	Nature of Proposal	Applicable / Not Applicable	Remarks
1	All categories of proposals involving forest land up to 20 hectares in plains and up to 5 hectare in hills	Not applicable	Nil
2	Proposal for defence installation purposes and oil prospecting (prospecting only)	Not applicable	Nil
3	Habitation, establishment of industrial units, tourist lodges complex and other building construction.	Not applicable	Nil
4	All other proposals involving forestland more than 20 hectares in plains and more than 5 hectares in hills including roads, transmission lines, minor, medium and major irrigation projects, hydro projects, mining activity, railway lines, location specific installations centre, TV towers etc.	Applicable	These are cases where a cost benefit analysis is necessary to determine whether diverting the forest land to non-forest use is in the overall public interest.
5	Proposal for renewal of Mining lease for forest land.	Not applicable	Nil

Place:- Vadodara
Date:- 14.03.2024

[ Ankit Kumar, IRSE ]

Dy. Chief Engineer (Construction)III, Western Railway, Pratapnagar,

Vadodara-390 004

# BENEFIT COST ANALYSIS PART-B

# PARAMETER FOR EVALUATION LOSSS OF FOREST HAS BEEN ACCORD FOR A PERIOD OF 50 YEARS AS PER GOVERNMENT DIRECTIVES

Project: - Construction of New B.G. Railway Line from Chhotaudepur to Dhar Project.

Total length of B.G. railway Line passing through

Reserve forest area under Alirajpur :- 1.19 Km

District-Alirajpur

Total length of B.G. railway Line passing through

Reserve forest area under Dhar :- 23,309 Km

District- Dhar

Total area of PF proposed for diversion from :- 6.654 Hectare

Alirajpur Forest Division

Total area of PF proposed for diversion from :- 237.385 Hectare

Dhar Forest Division

(Total length of B.G. railway Line passing through Reserve forest area under Alirajpur & Dhar forest division is 24.21 Km and Total area of PF proposed for diversion from Alirajpur & Dhar forest division is 244.039 Hectare)

No.	Parameters	Read, Tr. Line & railway Line
1	Forest Loss calculations Loss of value of timber, fuel wood and minor forest produce on an annual basis, including loss of manhours per annum of people who derived livelihood and wages from the harvest of these commodities.	
	Present NPV for 1 ha of forest land	= 9.57780 Lakh
	Present NPV for 244.039 ha forest land	= 244.039 X 9.57780 Lakh = 2337.3567 Lakh
2	Loss of animal husbandry productivity, including loss of folder.	Loss = 5 Tonne/hectare/year @ Rs. 125 per Tonne = 5 x 125 x 244.039 = Rs. 1,52,524.38 = 1,52,524.38 x 50 (For 50 years) = Rs. 76,26,219/- (or) =10% of environmental cost (NPV) =2337.3567 Lakhs x 10/100 =Rc.233.73567 Lakhs Taking higher of the values i.e. Rs. 233.73567 Lakhs.
3	Cost of human resettlement	There is no human inhabitant as per record in railway line corridor forest land. Hence,



		there would be no loss due to human resettlement.
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Building, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on forest land, which would require forest land if these facilities were diverted due to this project	No administrative infrastructure such as road, buildings, schools, dispensaries, electric line, railway etc. are affected due to diversion of forest land to this project. There will be no loss involved on this account.  The new Railway line will provide additional facilities better connectivity to local resident which will give opportunity of development in area.
5	Possession value of forest land diverted	Per hectare rate along alignment = 40 Lakhs For diverted land area in hectare = 40 x 244.039 Ha = 9,761.56 Lakhs (or) =30% of environmental cost (NPV) =30/100 x 2337.3567 Lakhs =Rs. 701.20701 Lakhs
		Considering higher of the above values i.e. Rs.9,761.56 Lakhs
6	Cost of suffering of outsees.	Not applicable.
7	Habitat Fragmentation Cost	= 50% of NPV applicable as thumb rule. =2337.3567 x 50% = Rs. 1168.67835 Lakhs
8	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost	Approximate CA cost per ha with 10 years maintenance (considering cost escalation is = 4 Lakhs (or) CA cost = 4 x (244.039 x 2) = 1952.312 Lakhs

Total cost (Environmental Loss) (A) = Rs. 15453.64272 Lakhs

Ankit Kumar, IRSE] Dy. Chief Engineer (Construction)III Western Railway, Pratapnagar,

Vadodara-390 004

### **BENEFIT COST ANALYSIS**

#### PART-C

## PARAMETERS FOR EVALUATION OF FORESTS NOT WITHSTANDING LOSS OF FOREST

No.	Parameters	Remarks
1	Increase in productively attribute to the specific project	This railway project will improve accessibility to the region, which will help in socio-economic development.
2	Benefits to Economy due to the specific project	Improving the accessibility shall help in regional economic development.
3	No. of population benefited due to the specific project	Entire population of Alrajpur & Dhar District i.e 14,00,000 souls shall be benefited from the project.
4	Economic benefits due to centres, TV towers etc. Direct and indirect employment due to the specific Project.	This project will provide rail link in between Vadodara and Indore which will improve the connectivity in between the cities in the golden qudilateral and central India. This will also give locals people, living in the vicinity of this railway line, to visit nearby bigger big cities and easily gain from the oppurtunities available in big cities. The underdeveloped districts of Alirajpur, Chotaudepur will get direct connectivity with big cities like vadodara. This project is helpful for establishment and development of small and medium scale industry and to stop migration of people in search employment.  400000 man days benefit due to employment = INR 500 per day = 400000 x 500 = 20,00,00,000/- or 2000 Lakhs
5	Economic benefits due to compensatory afforestation	CA will be taken up in 488.078 Ha. of land having a minimum density of 0.7. The ecological value for 50 years period for the density of 1.0 is Rs. 126.74 Lakhs per hectare as per forest act 1980. Therefore, ecological gain would be Rs. 43,301.304 Lakhs

Total benefit (B) = 45301.304 Lakhs

Benefit to cost ratio = (B) / (A)

= 45301.304/15453.64272

= 2.93 (>1)

The benefit to cost ratio being greater than 1 (i.e. 2.93) the project is found to be viable as per

the analysis/ described criteria.

[Ankit Kumar, IRSE]

Dy. Chief Engineer (Construction)III, Western Railway, Pratapnagar, Vadodara-390 004

# न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एव मू—अर्जन अधिकारी, जोबट जिला अलीराजपुर (म०प्र०)

कलेक्टर न्यायालय का प्र.कं. 0018/अ-82/2016-17 अ.वि.अ.(रा.)एवं मू-अर्जन अधि, का न्या.प्र.कं. 0014/अ-82/2016-17

डिप्टी चीफ इन्जं नियर, (निर्माण) वेस्त्र न रेलवे, प्रताप नगर बडौदा वेरुद्ध

भुवानसिह पि ता रामसिह जाति भील एवं अन्य निवासीगण बेटवासा तह. जोबट जिला—अलीराजपुर (म.प्र.)

# / / प्रस्तावित अवार्ड / / (दिनांक २५/01/2018)

डिप्टो चीफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टिन रेलवे, प्रताप नगर बड़ौदा ने उनके पत्र क्रमांक / brc/w/335/33 दिनांक 13.01.2017 द्वारा छोटा उदयपुर—धार रेलवे लाईन में आने वाले ग्राम देकाकुण्ड पहावाने हल्का नम्बर 49 तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की निजी कृषि भूमि रकबा 9.792 हेक्टयर के 3 निवार्य भू—अर्जन का प्रस्ताव पेश किया गया। जिसमें अनिवार्य अर्जन का सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम देवाकुण्ड छोटा उदयपुर—धार रेलवे लाईन के कार्य से प्रभावित होना बताया गया है। प्रस्ताव अनुसार सीमांकन उपरांत निम्न अनुसूची में वर्णित निजी कृषि भूमि का अर्जन प्रस्तावित है।

# -:अनुसूची:-

ग्राम

देकाकुण्ड

प.ह.नं.

40

तहसील

जोबट

जिला

अलीराजपुर (म.प्र.)

Page 2 of 9

ुक्रं.	पटवारी हल्का	हल्का का नाम नाम	ग्राम का नाम		भिग व	ी स्थिति	अधिग्रहित किया जाने	
	नं.				सिंचित	असिंचित	वाला रकबा (हेक्टयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	49	जोबट	देकाकुण्ड	487/2	0.000	0.409	0.409	
2				480	0.483	0.000	0.183	
3			The second secon	481	0.000	0.813	0.313	
4			- Constitution of the cons	439	0.000	0.134	0.134	
5				60	0.000	1.138	1.138	
6			and the second s	62	0.000	0.377	0.377	
7			The state of the s	72/2	0.000	0.026	0.026	
8		and the same of th	And Control of Control	72/1	0.000	0.305	0.305	
9			The second secon	77	0.000	0.003	0:003	
10			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	76	0.000	0.298	0.298	
11				74	0.000	0.047	0.047	
12				75	0.000	0.388	0.388	
13 -				82/1	0.130	0.000	0. 30	
14	***************************************			82/2	0.000	0.030	0. )30	
15		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		83	0.000	0.210	0. :10	
16				176	0.000	0.017	0. 117	
17				175	0.000	0.136	0. 36	
18				174	0.039	0.000	0.039	
19				171	0.122	0.000	0.122	
20	,	ered (if Commissions		170	0.010	0.000	0.010	
21				166	0.384	0.000	0.384	
22		<b>1</b>		110	0.000	0.414	0.414	

Page 3 of 9

		योग:-		4.032	5.760	9.792
35			490	0.000	0.042	0.042
34		1	483/1	0.000	0.470	0.470
33			487/मिन/3	0.000	0.305	0.305
32			156	0.776	0.000	0.776
31	-		157	0.267	0.000	0.267
30	-		158	0.269	0.000	0.269
29			160	0.093	0.000	0.093
28			161	0.126	0.000	0.126
27			162	0.510	0.000	0.510
26			163	0.252	0.000	0.252
25			164	0.405	0.000	0.405
24			165	0.156	0.000	0.166
23			111	0.000	0.198	0.198

प्रस्तुत प्रस्ताव के सलंग्न अर्जनीय भूमि के वर्ष 2016—17 की खसरा व वर्ष 2016—17 की बी —1 की नकलें मय नवशा व अन्य प्रमाण पत्रों के साथ पेश की है। प्रस्तुतकर्ता डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टिन रेलवे, उताप नगर बडौदा द्वारा अर्जनीय भूमि का सीमांकन कराया जाकर सीमांकित नकाव अन्य दस्तावेज भी उस्ताव के संलग्न प्रस्तुत किये हैं तथा प्रस्ताव में उनके द्वारा अनुमानित अग्रिम मुआवजा राशि भी उपलब्ध करायी गयी है।

- 1. प्रकरण नें जलेक्टर अलीराजपुर द्वारा भू—अर्जन,पुनर्वास और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षित वा अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन,2013) की धारा 11 की अधिसूचना क्रमांक 468/भू -अर्तन/रीडर-1/2017 अलीराजपुर, दिनांक 16.03.2017 को जारी की गई ,जिसका प्रकाशन म.प्र.राजपत्र के भाग-1 में दिनांक 07 अप्रेल 2017 को पृष्ट क्रमांक 1574-1577 पर, तथा स्थानीय समाचार पत्र, अधिसूचना का स्थानीय प्रकाशन तहसीलदार, जोबट के सूचना पटल पर तथा ग्राम देवगकुण्ड की चौपाल पर चस्पा किया गया।
- 2. प्रकरण में धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत नियत समयवधि में कोई आपित प्राप्त नहीं होने से प्रकरण में कलेक्टर अलीराजपुर द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत उदघोषणा क्रमांक / 1860 / भू-अर्जन / 2017 अलीराजपुर, दिनांक 05.08.2017 से जारी की गयी जिसका प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र के भाग 1 में दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को पृष्ठ क्रमांक 5287 पर एवं समाचार पत्र

तथा उद्घोषणा का स्थानीय प्रकाशन तहसीलदार जोबट, ग्राम देकाकुण्ड की चौपाल पर चस्पा कराया गया है

3. प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 कार्यवाही पूर्णता के पश्चात् अधिनियम की धारा 24 के

तहत अग्रिम कार्यवाही की गई ।

4. भू—अर्जन अधिनियम की धारा—8 के अन्तगर्त अर्जित कृषि भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग की टीम द्वारा पहले कर लिया गया है, जिसका सीमांकित नक्शा व भू—अर्जन प्रपत्र 10,11 अनुसार समस्त अर्जनीय भूमि का भूमि मूल्यांकन पत्रक 13 तहसीलदार जोबट से प्राप्त हुआ है।

5. डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टिन रेलवे, प्रताप नगर बढं दा के पत्र क्रमांक BRC/W/335/83/दिनांक 13.01.2017 में उल्लेखित निर्देशानुसार छोटा उदयपुर—धार रेलवे लाईन कार्य के लिये भू—अर्जन के संबंध में भू—अर्जन की प्रक्रिया अनुसार वार्यवाही हेतु लिखा गया है। अतः भू—अर्जन के संबंध में तीन वर्ष बिक्री छाँट का औसत तथा धारा 11 के प्रकाशन के समय की कलेक्टर गाईड लाईन दोनों में से जो भी अधिक है। तद्नुसार भूमि के गूल्य निर्धारण की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही भू—अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 40 के अनुसार की गई है। प्रकरण में धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 07 अप्रेल, 2017 के वित्तीय वर्ष 2016—17 की कलेक्टर गाईड लाईन तथा ग्राम बेटवासा की बिकी की गाईड लाईन की औसत दर अनुसार किया गया है। ग्राम देकाकुण्ड में विगत तीन बर्षों में कोई खरीदी बिकी नहीं होने से छांट बिकी की रिपोर्ट अप्राप्त। उप—पंजीयक जोबट जिला अलीराजपुर से विगत तीन वर्षों की छांट—बिकी ग्राप्त की गई। जो प्रकरण में संलग्न है। कलेक्टर गाईड—लाईन का धारा 11 के समय वित्तिय वर्ष 2016—17 का निम्नानुसार है।

## \* कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार औसत

क्र.	वर्ष	प्रति हे	क्टेयर
		सिंचित	असिंचित
1	2015—16	2,86,000	1,43,000
2	2016—17	2,86,000	1,43,000
3	2017—18	3,00,000	1,50,000
	योग	8,72,000	4,36,000
	औसत दर	2,90,667	1,45,333

तहसीलदार तहसील जोबट से प्रभावित ग्राम की अर्जनीय भूमि क मृत्यांकन पत्रक 13 मय प्रतिवदेन के प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रभावित ग्राम देकाकुण्ड में धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 07 अप्रेल, 2017 से 30.11.2017 में भूमि का मृत्यांकन की गणना के लिए कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार विगत तीन वर्षों का बजार मृत्य कुल रुपये 872000/—सिंचित एवं रुपये 436000/— असिंचित का होना पाया गया। इस आधार पर सिंचित भूमि का औसत मृत्य दर प्रति हेक्टयर रुपयें, 290667/— निर्धारित होता है। असिंचित भूमि के औसत मृत्य दर का रुपये 145333/—प्रति हेक्टयर मृत्य से निर्धारण की कार्यवाही की गई। इस प्रकार डिप्टी चीफ इन्जीनियर, (निर्माण) वेस्टिन रेलवे, प्रताप नगर बडौदा के उपरोक्त प्राप्त निर्देशों के परिपालन में उक्त प्रदाय की जाने वाली दर के आधार पर भूमि का मृत्य गणना पत्रक 13 के अनुसार भूमि के मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की गई है।

Page 5 of 9

भू-अर्जन अिवनियम के अंतर्गत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही:-

- सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड जोबट के पत्र क्रमांक / 852 / स.यं. / लो.स्वा.या.ख.
   /27 ,जोबट ,दिनांक 07.11.2017 को कुओं एवं पाईप लाईन का मुल्यांकन पत्रक प्राप्त हुआ।
- सहायक संचालक उद्यान जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक / उद्यान / तक. / मुल्याकंन / 2017—18
   / 2583 अलीराजपुर दिनांक 08.11.2017 को फलदार वृक्षो का मूल्यांकन प्राप्त हुआ।
- वन मण्डलाधिकारी, आलीराजपुर वनमण्डल अलीराजपुर म.प्र. के पत्र क्रमांक/मा.चि./2017/ 1499 अलीराजपुर, दिनांक 22.11.2017 को वृक्षो की लकड़ी का मूल्यांकन पत्रक प्राप्त हुआ ।
- कार्यपानन यंत्री, लोक निमार्ण विभाग अलीराजपुर के पत्र क्रमांक / 3809 / तक / 2017—18 अलीरा जपु , दिनांक 20.11.2017 को मकानों का मूल्यांकन पत्रक प्राप्त हुआ।
- प्रकरपा ने धारा 21 की कार्यवाही के अन्तर्गत धारा 21 की सार्वजनिक सूचना सुनवाई हेतु समय दिया गया उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई ।

उक्त ार्वे नम्बर अर्जनीय भूमि का रकबा, उसकी स्थिति तथा उसमें प्रभावित परिसम्पितायों की जानकारी प्रदाय की गई, उक्त सुनवाई में से कोई भी कृषक द्वारा आपित प्रस्तुत् नहीं की गई। इस प्रकार प्रकरण में धारा 21 की सुनवाई समय कोई आपितायों प्राप्त नहीं होने से मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की गई। उपरोक्त भूमियों का अर्जन, भू—अर्जन अधिनियम 2013 के अधीन किया गया है।

इस प्रकार अर्जित की जा रही भूमि का मूल्यांकन तहसीलदार, तहसील जोबट द्वारा किया गया है। प्राप्त मुल्यांकन अनुसार ग्राम देकाकुण्ड की भूमि मुआवजा रूपये 19,76,832/-(रूपये उन्नीस लाख कियोत्तर हजार आठ सो बत्तीस मात्र) व भारत का राजपत्र दिनांक 07 अप्रेल. 2017 अनुसार कुल मुआवजा राशि का 2 गुणांक अनुसार रूपये 39,53,664 /- (रूपये उनचालीस लाख तिरपन हजार छः सौ चोसठ मात्र)एवं 30(3) के तहत् 12 प्रतिशत वार्षिक दर से 283 दिवस का भूमि का अतिरिक्त ब्याज रू.1,83,927 /-(रू. एक लाख तिरासी हजार नौ सौ सताईस मात्र) इस प्रकार ग्राम देकाकुण्ड की भूमि का मुआवजा राशि कुल रूपये 41,37,591/- (रू. इकतालीस लाख सेतीस हजार पाँच सौ इकान्नवे मान)हुआ है, जिसका विस्तृत विवरण प्रारूप 13 में दर्शाया गया है।(संलग्न प्रारूप–13)

अर्जित वं। जानें वाली भूमि खसरा क्रमांक में स्थित वृक्ष प्रभावित होते हैं। जिसका मुल्यांकन वन मण्डलिधिकार िं ला अलीराजपुर एंव सहायक संचालक उद्यान द्वारा रूपये 58,390 /- (रू. अठावन्न हजार तीन प्रौ नब्बे मात्र) आंका गया है, जिसका विस्तृत विवरण प्रारूप 17 (क) में दर्शाया गया है।इस प्रकार भूमि एवं तक्ष / मकान / कुएँ का कुल मुआवजा राशि, 5,33,665 /- (रू. पाँच लाख तेतीस हजार छ: सौ पेस उ । ।त) है। जिसका विस्तृत् विवरण प्रारूप 22 में दर्शाया गया है। (संलग्न प्रारूप 22) मुआवजा राशि। वा भुगतान प्रारूप 22 में निर्धारित की गई है वही भुगतान की जावेंगी।

उपरोक्तानुसार ग्राम देकाकुण्ड तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की कुल निजी कृषि भूमि सर्व नम्बर 35 कुन रकबा 9.792 हेक्टर का कुल अवार्ड 41,37,591/- (रू. इकतालीस लाख सेतीस हजार पाँच सौ इकान्नवे मात्र) का अवार्ड पारित किया जाता है।

> मू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जोबट जिला अलीराजपुर

Page 6 of 9

## अवार्ड का संक्षेप

1. ग्राम का नाम

: देकाकुण्ड

पटवारी हल्का नं.

: 49

तहसील का नाम

: जोबट

जिला

अलीराजपुर (म.प्र)

संपादित भूमि रकबा सिंचित

: 4.032 हेक्टर

संपादित भूमि रकबा असिंचित

: 5.760 हेक्टर

योगः-

9.792 हेक्टयर

2. फार्म 13 के अनुसार

1976832 /-

फार्म 13 के अनुसार 100 प्रतिशत (तोषण राशि)

1976832 /-

12 पतिशत वार्षिक व्याज राशि 276 दिन

183927 /-

योगः-

4137591/-

3. अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य-

वृक्षो का मूल्य

58390 / -

लकड़ी/फलदार वृक्षो का मूल्य

फार्म-17 क के अनुसार 100 प्रतिशत (तोषण राषि)

सहित राशि

58390 /-

परिसंपत्तियों का कुल मुल्य

116780/-

अतः अर्जन की जाने वाली भूमि का प्रस्तावित अवार्ड राशि रूपये अवार्ड कः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

> भू-अर्जन अधिकारी एंव अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जोबट जिला अलीराजपुर

Page 7 of 9

## प्रमाण-पत्र

मैने (छोटा उदयपुर—धार रेलवे लाईन) योजनान्तर्गत शीर्ष के कार्य हेतु ग्राम देकाकुण्ड की अर्जित की जाने वाली भूमि के मेरे द्वारा पूरे प्रकरण का अवलोकन किया। गणना, नियम व निर्देशों के अन्तर्गत पाई गई है तथा शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप प्रकरण में गणनाएँ की गई है, तथा परिगणि। करने पर सही पाई गई है।

अतः ग्राम दे काकुण्ड का अवार्ड राशि रूपये 42,54,371 /- (रू. बयालीस लाख, चौवन्न हजार तीन सौ इक इत्तर मात्र) का उल्लेख करते हुए अवार्ड प्रस्ताव के अनुमोदन की अनुशंसा करता हूँ।

> (सांकेत मालवीय) भाप्रसे भू-अर्जन अधिकारी एंव अनुविभागीय अधिकारी(रा.) जोबट जिला अलीराजपुर

मू—अर्जन अधिकारी एंव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोग्ट जिला अलीराजपुर द्वारा किये गये परीक्षण एंव की गई गणना तथा अनुशंसा के आधार पर ग्राम देकाकुण्ड के शीर्ष कार्य (छोटा उदयपुर—धार रेल लाईन ) से प्रभावित ग्राम देकाकुण्ड पट ग्रारी हल्का नम्बर 49 तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की निजी कृषि भूमि रकबा 9.792 हेक्टेंगर हेतु अवार्ड राशि रूपयें 42,54,371 /- (रू. बयालीस लाख, चौवन्न हजार तीन सौ इकहत्तर मात्र) का अनुमोदन किया जाता है।

जोबट दिनांक .3.0.../0.1../2018

क्लेक्टर जिला अलीराजपुर

Page 9 of 9

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY


कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र जोबाट, सामान्य वन मण्डल अलीराजपुर गो.त. १४२४१९४४३३२, जोबट, दिनांक ७९ / 03 / 2018 कर्मक / मा.चि. / 2018 / 15 2

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी महोदय वनमण्डल अलिराजपुर

विषय :- छोटा उदयपुर - धार New BROAD GAUGE रेलवे लाईन के निर्माण में प्रभावित कृषकों की निजी भूमि में स्थित परिसम्पतियों का मूल्यांकन बाबत् । सन्दर्भ :- उ.व.म.अ. आजाद नगर के पत्र क/1409 दिनाक 06.11.2017 ।

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि सन्दर्भित पत्रानुसार वन परिक्षेत्र जोबट अंतर्गत उप परिक्षेत्र सहायक हरदासपुर एंव जोबट एंव स्टाफ द्वारा ग्राम देंगाव , देहदला, बेटवासा, कोसदूना, परिक्षेत्र सहायक हरदासपुर एंव जोबट एंव स्टाफ द्वारा ग्राम देंगाव , देहदला, बेटवासा, कोसदूना, परिक्षेत्र सलेडी , डेकाकुण्ड , कस्बा जोबट, के कृषको की निजी भूमि पर स्थित वृक्षो का जेसिंगपुर , बलेडी , डेकाकुण्ड , कस्बा जोबट, के कृषको की निजी भूमि पर स्थित वृक्षो का मूल्यांकन कर किया जाकर सूची रेन्ज पत्र क/ मा.चि./ 755 दिनाक 20.112017 से उपवनमण्डल कार्यालय आजाद नगर प्रेषित की गई थी । सूचनार्थ प्रतिवेदन मय सूची के श्रीमान की सेवा मे प्रेषित हे । सलग्न – सूची







कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र जोबट, सामान्य वन मण्डल अलीराजपुर गोटा बरा रटेण्ड जोबट कमांक/मा.चि./2018/ 157 जोबट, दिनांक 1 4/03/2018

प्रति.

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जोबट


विषय :- छोटा उदयपुर - धार New BROAD GAUGE रेलवे लाईन के निर्माण में प्रमावित कृषकों की निजी भूमि में रिथत परिसम्पतियों का मूल्यांकन वावत् । सन्दर्भ :- उ.व.म.अ. आजाद नगर के पत्र क/1409 दिनाक 06.11.2017 ।

उपरोक्त विषयान्तंगत निवेदन है कि सन्दर्भित पत्रानुसार वन परिक्षेत्र जोवट अंतर्गत उप परिक्षेत्र सहायक हरदासपुर एंव जोवट एंव स्टाफ द्वारा ग्राम देंगाव , देहदला, बेटवासा, कोसदूना, जेसिंगपुर , वलेडी , डेकाकुण्ड , कस्बा जोवट, के कृषको की निजी भूमि पर स्थित वृक्षो का मूल्यांकन कर किया जाकर सूची रेन्ज पत्र क / मा.वि. / 755 दिंनाक 20.112017 से उपवनमण्डल कार्यालय आजाद नगर प्रेषित की गई थी । जिसका गोषवारा निम्नानुसार प्रेषित है ।

ग्राम का नाम	वृक्ष की सख्यां	कृषक संख्यां	मुआवजा राशि
देहदला	129	14	64687.00
देगांव	50	17	11240.00
कस्बा जीबट	120	15	60069.00
वलेडी	350	39	129340.00
जैसिगंपुर	60	11	28225.00
कोसदुना	161	13	61645.00
<u>ड</u> ेकाकुण्ड	26	10	49790.00
वेटवासा	114	20	52700.00
योग	1010	139	457696.00

वनपरिक्षेत्राधिकारी

जोबट





कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र जोवट, सामान्य वन मण्डल अलीराजपुर गो.न. १४२४७१२४३२, मोटा बस स्टेप्ट जोवट जोबट, दिनांक 10/03/2018 कमांक / मा.चि. / 2018 / 152

वनमण्डलाधिकारी महोदय वनमण्डल अलिराजपुर

विषय :- छोटा उदयपुर - धार New BROAD GAUGE रेलवे लाईन के निर्माण में प्रमावित कृपको की निजी भूमि मे स्थित परिसम्पतियों का मूल्यांकन वावत् । सन्दर्भ :-- उ.व.म.अ. आजाद नगर के पत्र क/1409 दिनाक 06.11.2017 ।

उपरोक्त विषयान्तंगत निवेदन है कि सन्दर्भित पत्रानुसार वन परिक्षेत्र जोवट अंतर्गत उप परिक्षेत्र सहायक हरदासपुर एंव जोवट एंव स्टाफ द्वारा ग्राम देंगाव , देहदला, वेटवासा, कोसदूना, जेसिंगपुर , वलेडी , डेकाकुण्ड , कस्या जोवट, के कृपको की निजी भूमि पर स्थित वृक्षों का मूल्यांकन कर किया जाकर सूची रेन्ज पत्र क/ मा.चि. / 755 दिनाक 20.112017 से उपवनमण्डल कार्यालय आजाद नगर प्रेपित की गई थी । जिसका गोपवारा निम्नानुसार प्रेपित हे ।

ग्राम का नाम	वृक्ष की संख्यां	कृपक सख्यां	मुआवजा राशि
देहदला	129	14	64687.00
<b>हेगांव</b>	50	17	11240.00
क्रस्या जीवट	120	15	60069.00
वलंडी	350	39	129340.00
जीसगंपुर	60	11	28225.00
<b>新城市</b>	161	13	61645.00
इकाकुण्ड	26	10	49790.00
वंटवासा	114	20	52700.00
यांग	1010	139	457696.00

जोबट

आजाद नगर

उपवनमण्डलाधिकारी कार्यप्रह कारी करिलंदार सहायक यन्त्री

उपसंचालक । वि अनिराजापुर केनीवट लो.स्वा.या.जोवट उद्यानिकी जीवर्टनीका

	1	To.
	-	3
7	te	8
Y	12	T
M	10	C
13	U	X

	######################################	le .				1
	कु-इत्होर ने का माम भारत कारता १५११ सं बहुत १० मान्यत	1				
	क्ष नम् विकास जा कि देश किसीए विकास वक्षेत्र क्या	2700	\$\(\pi\) \\ \pi\) \pi\) \\ \pi\) \pi\) \\ \pi\) \pi\) \pi\) \pi\) \pi\) \pi\) \pi\ \pi\	10800544 250 (50	1005m	255 011 012 012 012 012 012 012
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	प्राप्ताकीम (६००० मा ना निवास जेनगई जा निवर्ग द्वा निविध (जीटन) में ज्यावनीक वच्छी ज्या हिस्स विशेष	12 Hzd	1 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	15-1 8 ~	5	7 N
	42 to 10 to	2104.A 120- 260-	2304	2167	100	73.0-
10	341.4.T	4 4 4 5 3 3 1 1 4 4 4 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1000	भूत वासा १	15 E	जिल्हा जिल्हा
	ः अतिहेन्तः नेक्योदिक्क्षित	का (100 मी अमेत संह हिंदी का जिल्ला का अध्य का अध्य रार्थिक मध्य केम अधि रार्थी सामस्य मार्थिक भिन्न इन की में हैं की स्थान क्या	मिशील वस ह	मिशीज स्त्रक्ष	या जाते और व	भूदरा जावि प्र भूदिः व्यामी र्भाग
Table State	क्षा भा भूभिकाता यक्षा व्यक्तित्र	भूगरेक्ट पिता मिक भेरा शकती योग संस् रहता होता रेग्यारीह भागा र अभाग कार्या व कार्य साष्ट्र जिल्ला है स्था कार्या कार्या कार्य साष्ट्र जिल्ला है स्था कार्या कार्या कार्या क्या कार्या जिल्ला स्वाधी है स्था महस्सा कार्या क्या कार्या जिल्ला स्थान महस्य है है स्था स्थान कार्या कार्या ने कार्य है है स्वत्य केला क्या कार्य	नास मुक्ति वाम्हा जातिशील वस निर्मा	सेष्टन्या परिवामसिंह पातिभीत क्रिक्त दर्भ	लानक्म पिस्रा जंगलीया जाहि और पत्र नियाती ग्राम ऋपेन-जनमी	विवसित्ते किया वेक्ता जाति मीय कार पता निवास गाम भूकि व्यामी अनुसर रहेतिया
		9	\$0	7.	791	483/3
	्रमात्रका (एड.००) व्यक्त	मार्क रिकार में क्रिक्स का जाने कर से किस किस का मार्क कर कर किस का कर	सार होता तमना जाति भीत्र पर रोष्ट्र विता तमना जाति भीत्र पर्मा सिं न्याम भूतेम ब्लामी	अल्स्का एक न्यायेह जातिश्वीतिश्वमेरवार्ष	सम्बन्न गिरुम जेशामीया जाते ध्र्मील एका निवासी सुमित्यान	विक्राधिक किए वेसा जाते त्रील पर्स निवसी जाम श्रुपि क्यापी
	The series	14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	कार किया हाम्या जाति श सम्ब किया हाम्या जाति श स्थि स्थाप स्क्रिस ब्लामी	The All leases	सानका पिट्टा (	क्रिक्सिट क्लियेसा जारी प्र क्लियी जाम श्रुप्त क्यांत्री
	4	1	I-	À	¢7	£*

			164.0	.41	, 71				
· 2 *	108189-P1	un ege <b>rt</b> un des		iges Pro-	ाहा की गोम्बाई : [[अन्बीन्]	3,	राज्यसम्बद्धाः व्यक्तः ज्यानः सम्बद्धाः वृद्धाः वृद्धाः भाजमानिकाः व्यक्तः	eg et de deskirk en en e en en e	*:
	•						्राद्वासम्बद्धः विक्रियः । व	responsible	
	र्यान संह वि रामशह बाति श्रीक पता	1960	क्षानाकी किया कामित नीत पर	<u> </u>	· •				
:	स्मान्य गामि बनामी		सा देख अधिक ल्लाकी		24064				
	4.146 2021	į	100		7220-				
		• !		1 4	70-	12	\$ 7 <sup>4</sup> C 2 3 5 0		
		† •		17-91		. Z <sub>y</sub>			
				- व्यागीन	260		97.55.V		
	म्बन् विता राज्ञानी नारिस्तित	439	मञ्जन विता ह्युमानी जाति जीह	्सङ्का सङ्का	120 -	Ŋ.	20,242,000		
12	महान । प्रता इतिहासिकार अपरे पता । नि - गांग मुक्ति स्वाफी	परा 📆	परा मा गा। गा।		130~	10 -	t - An		
	· 184 - 2021 1840 (2014)	_	1				2 L/25 - 7		
_	एका बेसा कड़ जारी भील	€c.	व्यास्त्र केना साइ क्यां- सीत्र	4(3,51)	120~	10 -	2.50		
<u>.</u>	्राह्म क्षेत्र का क्षेत्र देश है। इस्ताहित का स्वाहित का में		पता किलाम स्रोम अवादी		410	11.	5.55		
	and the object of the transfer				20 -	. 1 -		•	
					170	. 2	5.74 N 5.76 D		
						- 11~	2,700		
					1		, दे दुच्छ <sub>र</sub> के		
	ार्क्टर चिंग क्यारिक साविश्रीका	76	न्यमस्त्र । व स्तुभारतह व्यक्ति भूति । व	ं हेगरः	1504	- 5	2 570		
	-चनक पिरा न्हुमधित जारिशील सि-गा- <del>श्रीन स्नामी</del>		'আ গাট বন		<u>i</u>				
	अगरेप जिंग हीता केरम एकति धुमेरी हरता जिंग केरमसंदर्भ का मध्य जाता ह नहीं के सामग्री केरा केरहशीक नामा का नहीं कर सम्मान का प्राप्ती किस्ता का नहीं का प्राप्ती का दिस्ती		श्चरतिह विशेषां भू केशा द्वारा १ वेश रह सम्बाध्या के व्ययन ११ वा वा वा वा वा द्वारा के व्ययन ११ वा वा वा वा वा द्वारा के वा वेशा देशा वा वेशा के द्वारा के वा वा वा वा व	্য য	60~	-1:	2.0		

भी कार्य है कार्य है।

सहसा - 1 ट्रेमफ - 1 ट्रेमफ - 1 आम - 1 अहसा - 10

Scanned with OKEN Scanner

Subsyst,

र सह दिता गमरा जाति मील पता ति, ग्राम प्						
वात राजा साम होना है स्वारि क्षान वात	130 विसे विसे विसे विसे विसे विसे	महुआ-4		1	 	
<ul> <li>नानका पिता जगलीया जाति भील पता निवा</li> </ul>	वलका पाँचे रामसिंह जाति भील भूमि स्वामी।	वला -3				
sé	ाभी 164 जनका पिता जगलीया जाति भील पता निवासी ग्राम भुगि	ओहला-1				
in.	जाती भील पता निवासी ग्राम भूमि	आम-1	3600			
	483/3	महुआ-1			 	
		बड-1				
		गुलहर-1				

Assistant Director
of Horticulture
Distt. Al raipur (M P )

2npakaten

J PCL XL BITOT

	पाल विता भूमक कर्ग क						
8	चलु विता गमरा लाति भील पता वि. याम गुवि चैलका प्रथा नक	156 ster for	27 112				
-	चैतका पति समसित जाति मीत मुनि स्वामी।	1	ी गमरा जाति भील पता नि ग्राम भूगि स्वामी।	महुआ-4			
9	नानका पिता जगलीया जाति भील पता निवासी	157 निलका	पति समसिह जाति भील भुगि स्वामी।	ਰਗ -3			
	नाल पत्ता निवासी	164 नानका (	Day C	ओहला-1			
20			पिता जमलीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि	आम-1	3600		
54.		483/3		महुआ-1	-		
				बड-1			
				गुलहर-1			

Assistant Director
of Herticulture
Distt. Al raipur (M P )

	अवार्ड	रांबंधी रेलवे लाईन (छोटाउदेपुर-धार) के अन्तर्गत वृक्षों की जानकारी
11	डेकाकण्ड	महारोज = केन्स किला वार्कीयाच्या (मावार) का माआवारी पत्रक वर्ष क

- 1	भूमि स्वामी का नाम मय पिता का नाम	खसरा	ग्राम डेकागुण्ड तहसील जीवट जिला आलीराज्	पुर (१०४०) क	ा गुआवजा पत्रक व	4 2017-18	la late	S-STORE I	र्याग
		कमांक	वृक्ष पर मूमि स्वामी के अतिरिक्त अन्य व्याक्ति का कब्जा स्वामीत हो तो उसका नाम	वृक्ष का नाम	फलदार पेंड की स्थिति में उद्यान विमाग द्वारा निर्धारित मुआवजा	वन विभाग द्वारा निर्धारित तकडी का मुझावजा	योग ६+7	मू-अर्जन उद्योजियन 2013 की घारा 10 (1) के तहत् 100 प्रतिश्रात तोश्रण चाशि	
1	2								10
	मुदानसिंह पिता रानसिंह जाति भील पता सा. देह	3	1	5	6	7	8	9	
1 भूमि स्वामी।			भुवानसिंह पिता रामसिंह जाति भील पता सा. देह गूमि स्वामी।	महुआ-3					
1		480		रिंझा−1		Tible		T	
-				सागोन-1		Ray			
2	मगन पिता धुनजी जाति भलई पता निःग्राम भूमि स्वामी।	439	मगन पिता धुमजी जाति भलई पता नि.ग्राम भूमि खामी।	महुआ-2			SQL Fire		<del></del>
3	त्तयती बेवा थाउ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	60	रायसी बेबा थाउ जाति भील पता निवासी ग्राम मूर्गि स्वामी।	महुआ-5	·				
	चमरू पिता खुमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम् मूनि स्वामी।	76	चमरू पिता खुमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	तेनिर-1					
-	मुरसिह पिता भीलु केरम,सजनी, सुमेरसिह, सदन		भूनसिह पिता शीलु केरम,सजनी, सुमेर्सिह, सदन पिता						
	पिता केनदरसिंह नाठ गाठ सक घठ गाता सागरी व स्तायदी बेवा केदरसिंह , सम्मा बेवा भीनु , यादु गालु पिता हिरजी सापसीया गाठ वाठ सठ घठ माता पुरा व थुरा बेवा हिरजी, रणसिंह पिता बुढ . अस्तान ,त्सी, ,पुरती, मोटली, समीना पिता केशरसिंह व सहदा बेवा केशरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	1	नुवास १५६६ गानु एक्ट्रिकेट माना सावधी व सावदी वेबा केन्द्रपतित नाण बाठ कर एक्ट्रिकेट माना सावधी व सावदी वेबा केन्द्रपतित नाण १६६ मानु मानु पति हिरली सारक्षीया गानु वाव १६६ माना पुरा व पुरा वेबा हिरली, रणसिंट पिता दुडु असमा तुस्वी, भूरली, मोटली, सनीना दिता केशारीसह च सहदा वेबा केशारीसह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	आम-1	3600				
	भूरोसह पिता भीलु केरम.सजनी, सुनेरमिह, रादन पिता केनदरशिह नाठ वाठ सठ प्रठ नाता सामरी व सामरी देवा केदरशिह, चन्च देवा भीलु, बालु, नातु पिता हिरजी सामसीमा गाव वाठ कठ प्र भारता पुत्रा च भून देवा हिरजी, रणसिंह पिता बुड , अस्ता ,तुना, सुरली, मोटली, सनोना पिता क्रेशमां,तुनी, सुरली, मोटली, सनोना पिता क्रेशमांसह व सहस्त देवा केशसरिहट जाति भील बता निवासी प्राम भूमि स्वामी।	176	पुर्वसेह यिता भीजु केरम,सजनी, सुनेरसिह, सदन पिता केनदरिसंह नाठ बाठ राठ प्रकामता सावरी व सावरी बंबा केनदरिसंह , चाया थेवा भीतु , बाजु , माजु पिता हिरजी सावराचिया नाठ बाठ सठ प्रकामता भुरा व मुख बंबा हिरजी, स्थासिंह पिता बुंडु , असमा, तुर्जी, मुस्ली, मोटली, सभीना दिता जेशदरिस य सच्चा केनारिसंह जाति भीत पता निवासी ग्राम पूर्नि स्थानी।	सहुआ-3					

# 780001

जे J संख्या

विवरण Particulars	संख्या No.	लंबाई Length	चौडाई Width	गहराई Depth	विषय-सूची Contents
Name	of w	081		Earth	work in bonk,
	Cutt	ng	- ko	ellt	kind of sail sobt
	Toch	4. One	and	ock	and blankeling
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	200	2000	bais	1ge	approaches ele
	and	Con.	1-June	Hear	of will push
	RUF	کلاط	ide	dre	ins, —
T. No:	07.	CE	c-1-	BRC.	CTO-DHAR-18
Mame e	f eq	ence (	ļ -	2/10	Jalaran-21
CANO	, D	+ CE	C 1 Post	oc I ca	/
Date of	Co.mm	mem	eul -	25-	1-19
Date	Con	n.þ).e.	é.on	we	ak in Progress,
		+ R	A	it)	
	Re	Sord.	meg	Ryren	Lub
er	2	ate-	2015	19	
			dule	J. The I	
Stem No.	0131	204	gath	wood<	in failing in
		STATE OF THE PARTY	100	× 6	ide bunds ground
	Mary Co.	10 mg	pa -		
€	a.	per	ass	elme	it refulter No. D
	J	1	t	1	- 1011/11/101

Record meagurency  Schraute A	
SHEM NO. O. S. L.30  Stem No. O. S. L.30  Stem No. O. S. L.30  Step Sam  Step Sam  Thusked  T	

## कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) दण्डाधिकारी जोबट जिला अलीराजपुर म.प्र.

E-mail:- jobatsdm@gmail.com Phone No. 07393-288031

क./129/रीडर /2023

जोबट,दिनांक २० 01 2022

प्रति.

कलेक्टर महोदय जिला–अलीराजपुर

विषय:-

ग्राम डेकाकुण्ड पटवारी हल्का न. 41 अंतर्गत धार—छोटाउदयपुर रेलवे लाई 1 अंतर्गत अधिग्रहित भूमि पर राजस्व विभाग ,वन विभाग तथा रेलवे विभाग द्वारा की गई संयुक्त जॉच के संबंध मे।

सन्दर्भ:-

पश्चिम रेलवे पत्र क्रमांक BRC/W/115/06/(FOREST) दिनांक 09/01 20 !3 ।

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार ग्राम डेकाकुण्ड स्थित निजी सर्वे न. 439,480,481,483/1 एवं शासकीय सर्वे न. 437,438,462,474,475,488 की मोका जॉच राजस्व विभाग,वन विभाग एवं रेलवे विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई। जॉच में विभाग वार निम्नलिखित बिन्दु पाए गये:—

- 1. रेलवे विभाग द्वारा ग्राम डेकाकुण्ड अंतर्गत अधिग्रहीत कि गई शासिकय भूमि सर्वे न. 437,462,474,475,488 भूमि न्यायालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर के प्रकरण क्रमांक 0028/अ-19(3)/2019-20 अंतर्गत अधिग्रहित की जाकर रेलवे विभाग को हस्तानतिरत की गई है। इस प्रकार ग्राम डेकाकुण्ड अंतर्गत अधिग्रहीत कि गई निजी सर्वे न. 439,480,481,483/1 की भूमि न्यायालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर के प्रकरण क्रमांक 0018/अ-82(3)/2016-17 अंतर्गत अंधिग्रहित की जाकर रेलवे विभाग को हस्तानतिरत की गई है। वर्तमान में बिन्दु क्र. 1 अनुसार निर्माणाधीन धार—छोटाउदयपुर रेलवे लाईन ग्राम डेकाकुण्ड के सर्वे न. 438,439 अंतर्गत निर्माण होने से वन विभाग द्वारा आपत्ति ली गई है।उक्त संबंध में रेलवे विभाग द्वारा संदर्भि पत्र द्वारा उक्त भूमि का सत्यापन चाहा गया है। रेलवे विभाग अनुसार उक्त अधिग्रहित की गई शासिकिय एंव निजी भूमि के संबंध में विधिवत अवार्ड पारित दिनॉक 25/01/2018 के पश्चात रेलवे निर्माण का कार्य किया जा रहा है जो वर्तमान लगभग 80% पुर्ण हो चुका है। वन विभाग द्वारा अवार्ड पारित होने के पश्चात विगत 3 वर्षों में केशी भी प्रकार की आपत्ति नही ली गई जबिक उक्त अवार्ड का विधि पुवर्क दावा आपत्ति के संबंध में विज्ञिपा एकाशन किया गया था। चुकी रेलवे विभाग का कार्य वर्तमान में पुर्ण होने की स्थिती में है ऐसी स्थिती में वन विभाग द्वारा आपत्ति लिये जाने से रेलवे विभाग का कार्य रुका हुआ है।
- 2. उक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित ग्राम डेकाकुण्ड अंतर्गत स्थित सर्वे न. का अवलोकन राजस्व विभाग के वर्तमान राजस्व रिकार्ड , मिसल बंदोबस्त वर्ष 1991-92 एवं मिसल बंदोबस्त वर्ष 1956-57 अनुसार किया गया। मिसल बंदोबस्त वर्ष 1991-92 के अनुसार निजी सर्वे न. 439,480,481,483/1 एवं शासकीय सर्वे न. 437,438,462,474,475,488 क्रमशः पुराने सर्वे न. क्रमशः 41 रकबा 17.66 एकड = 7.15 हे. मद चरोखर, सर्वे न. 42 रकबा 135.14 एकड = 54.69 हे. काबिल कास्त सर्वे न. 81 रकबा 38.80 एकड = 15.70 हे. मद

And her

n

काबिल कास्त एवं सर्वे न. 80 रकवा 78.82 एकड = 31.90 हे. मद चरोखर होना पाया गया है। पुराने सर्वे न. 41 रो वर्तगान में रार्वे न. 438 रकवा 4.77 हे. गद चरोखर व रार्वे न. 439 रकवा 1.83 हे. मद चरोखर बने होना पाये गये। पुराने सर्वे न. 81 से वर्तमान के सर्वे न. 480 रकवा 1.03 हे. मद ना.का., सर्वे न. 481 रकवा 1.25 हे. मद ना.का. सर्वे न. 482 रकवा 0.29 मद ना.का. सर्वे न 483 रकवा 1.82 मद ना.का. बने होना पाये गये। पुराने रार्वे न. 80 रो वर्तगान रार्वे न. 437 रकवा 1.48 हे. मद रास्ता सर्वे न. 462 रकवा 0.90 हे. मद ना.का सर्वे न. 474 रकवा 0.25 मद ना.का. एवं सर्वे न. 475 रकवा 0.81 मद रास्ता बने होना पाये गये। इस प्रकार रेलवे विभाग के संदर्भित पत्रानुसार जिन सर्वे न. पर वर्तमान में वन विभाग द्वारा आपत्ति ली जा रही है। उक्त समस्त सर्वे न. मिसल बंदोबस्त वर्ष 1956-57, मिसल बंदोबस्त वर्ष 1991-92 एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार राजस्व विभाग की शासिकिय भूमि होकर दर्ज है। उक्त सर्वे नम्बरो पर कही भी पुर ने रिकार्ड एवं वर्तमान रिकार्ड में किसी भी प्रकार के जंगल / वन भूमि होने का उल्लेख नही होना पाया गया है। राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त भूमि राजस्व विभाग की होकर दर्ज होना पाई गई है।

- 3. वन विभाग उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में आज दिनॉक 20/01/2023 के राजस्व विभाग ,वन विभाग तथा रेलवे विभाग द्वारा संयुक्त मौका स्थल का निरीक्षण किया गया।
  - No. 1460-819-X-6x- In exercise of the powers conferred by section20 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927) the Government of Madhya Pradesh is pleased, with reference to Madhya Bharat government notification no. 6037/XF/592/55, dated the 19 th may 1956 to declare the land shown below in Jobat tehsil of jhabua district, to be reserved forest with effect from the 1<sup>st</sup> June of 1961.

Dekakund –	survey no.	Area
	41	17.26
	42	134.84
	80	76.52
	81	38.80
	Total	267.42

Note- उक्त ग्राम डेकाकुण्ड के उक्त सर्वे न. का डाटा मध्यप्रदेश शासन वन विभाग अलीराजपुर वन मण्डल की कार्य आयोजना वर्ष 2018-19 से 2027-28 पुस्तक क्रमांक — 3 परिशिष्ट आलेख भाग —1 व 2 के पृष्ट क्रमांक 109 पर उल्लेखित डाटा से लिया गया है। उक्त डाटा में रकबे की युनिट बिघा में दर्ज है। किन्तु वन विभाग के ब्लॉक मेप में रकबे की युनिट एकड में दर्ज है।

• तात्कालिन डिवीजन धार अंतर्गत ब्लॉक जमेरी रेन्ज—जोबट ,स्केल — 4".1 माईल रकबा सेटिल 4801.72 एकड के अंतर्गत ब्लॉक मेप में खसरा क्र. 34,35,37,40,42,41,79,80,81,82,83,84,85 दर्शाया गया है। जो कि वन क्षेत्र में आता हैं।



- रेलवे द्वारा अधिग्रहीत कर निर्माण कार्य की गई भूमि वन मण्डल अलोरा जपुर अंतर्गत कक्ष इतिहास में कक्ष क्र. 29 अंतर्गत नक्शे में वन क्षेत्र डेकाकुण्ड के अंतर्गत आती है।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेजो एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर छोटाउदयपुर से धार रेलवे लाईन निर्माण हेतु 6.654 हेक्टर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु बीट बलेडी के कक्ष क्रमांक 29 में मोके पर कुल लम्बाई में से 695 मीटर पर रेलवे विभाग द्वारा कार्य पहले ही किया जा चुका है। तथा 380 मीटर पर कार्य करना शेष है।

उक्तानुसार राजस्व विभाग ,वन विभाग तथा रेलवे विभाग द्वारा की गई संयुक्त जाँच के आधार पर यह निष्कर्ष:-निष्कर्ष पाया गया कि रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहण के समय दर्ज राजस्व रिकार्ड एवं नगरों के आधार पर उक्त भूमि शासकिय भूमि सर्वे न. 437,462,474,475,488 तथा निजी सर्वे न. 439,480,481,483/1 की भूमि का अधिग्रहण कर उस पर निर्माण कार्य किया है। राजस्व विभाग के नक्शा एवं खसरा रिकार्ड अनुसार वन विभाग कि भूमि जोबट-बोरी मार्ग के पूर्व में स्थित होना पाई गई है। जोबट-बोरी मार्ग के पश्चिम में स्थित समस्त भू मेया राजस्व विभाग की होना वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्शित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के सर्वे न. का मिलान मिसर बंदोबस्त वर्ष 1956-57, मिसल बंदोबस्त वर्ष 1991-92 एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार राजस्व विभाग से किया गया है। किन्तू वन विभाग द्वारा अनुसार ग्राम डेकाकुण्ड अंतर्गत ब्लंक मेप में खसरा कराये गये रिकार्ड 34,35,37,40,42,41,79,80,81,82,83,84,85 दर्शाया गया है। उक्त समस्त सर्वे नम्बर मिसल बंदोबस्त वर्ष 1956-57 अनुसार राजस्व विभाग के पुराने नम्बर है। उक्त खसरा क्रमांक को 01 जून 1961 में नोटिफिकेशन के माध्यम से वन विभाग को हस्तानतरित किये गये थे। किन्तु नवीन बंदोबस्त वर्ष 1991-92 में उक्त वन विभाग को नोटिफाई किये गये उक्त सर्वेन. का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं होना पाया गया जो कि वर्तमान वर्ष तक यथावत है। वन विभाग के ब्लॉक नक्शे अनुसार वन विभाग की सीमा ग्राम डेकाकुण्ड के पश्चिम में स्थित डोही नदी तक होना दर्शित है। वर्तमान में वन विभाग की सीमा एवं राजस्व विभाग की सीमा का मिलान नहीं हो पा रहा है।

अतः आज दिनॉक को किये गये संयुक्त निरीक्षण में सीमा का निर्धारण नहीं होने के कारण आगामी जॉच की आवश्यकता है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

जोबट ,जिला -अलीराजपुर

तहसीलदार

तहसील जोबट

वनपरिक्षेत्राधिकारी

जोबट

कार्यपालन यंत्री पश्चिम रेलवे